(4) कर्नाटक

(5) महाराष्ट्र

(6) पश्चिम बंगाल

इससे पूर्व मई, 1977 में पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र भी इससे प्रभावित थे परन्तु स्थिति अब सुधार गई है।

(ग) लघुकालीन उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) जो यूनिट या तो जबरन बन्दी (फोर्स्ड ग्राउटेज) पर है अथवा जो, आयोजित अनुरक्षणाधीन हैं, उनको पुन: चालू करने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड और संबंधित विद्युत केन्द्र जोरों से कार्रवाई कर रहे हैं। संथालडीह का 120 मैगावाट की यूनिट, दामोदर घाटी निगम की चन्द्रपुर की 120 मैगावाट की एक यूनिट, बदरपुर की 100 मैगावाट की एक यूनिट जैसी कुछ यूनिटों को अभी हाल में पुन: चालू कर दिया गया है। बदरपुर की 100 मैगावाट की एक और यूनिट तथा एन्नौर में 100 मैगावाट की एक यूनिट निकट भविष्य में पुन: चालू किए जाने की आशा है।

(2) वर्तमान विद्युत केन्द्रों से यथा संभव अधिकतम विद्युत उत्पादन किया जा रहा है।

(3) जहां भी अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्त: क्षेत्रीय पारेषण लाइनों के जरिए अधिकता वाले राज्यों में कमी वाले राज्यों को बिजली का अन्तरण संभव है, वहां इस प्रकार का विनियम करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

(4) भारत सरकार द्वारा सूचित क्रमबद्ध प्राथमिकताओं के अनुसार विद्युत खपत की राशनिंग शुरू कर दी गई है।

दीर्घकालीन उपाय के रूप में :—

(1) जिन यूनिटों को पहले स्वीकृति मिल चुकी है, उन्हें शीघ्रता से चालू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(2) बिजली की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

Duty hours of Staff in D.E.S.U.

471. SHRI YAGYA DATT SHARMA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) the duty hours of the staff working in DESU;

(b) whether the staff working in DESU has been forced to work beyond duty hours;

(c) rules under which compensation is to be paid to the staff if asked to work beyond duty hours; and

(d) whether the staff has been paid overtime for working beyond duty hours?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) Duty hours of staff of Delhi Electric Supply Undertaking are as follows:—

(i) Field staff—from 8.00 A.M. to 4.30 P.M. with ½ hour rest.

(ii) Staff working in shifts—8 hours.

(iii) Ministerial staff—10.00 A.M. to 5.00 P.M. with ½ hour break.

(b) No, Sir.

(c) In so far as staff of the power station is concerned, compensation for working beyond duty hours is given under the provisions of Factories Act. In so far as other staff of Delhi Electric Supply Undertaking (except

Ministerial Staff) is concerned, this compensation is given under regulation 17 of the Service Regulations framed under Section 79(c) of Electricity (Supply) Act, 1948. The Ministerial staff is, however, governed for this purpose by the orders based on similar orders issued on the subject from time to time by Government of India.

(d) Compensatory rest is given to the staff whenever they work beyond the specified period of duty.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

472. श्री शिव नारायण सरसूनिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये 'सीनियर आफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स' आरम्भ किया है; और

(ख) दिल्ली प्रशासन में नियुक्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों में से अब तक कितने अधिकारियों ने उक्त प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) दो अधिकारी ।

डी० आई० एस० आई० आर० में बन्द होने वाले लोगों की जेल से रिहाई होने पर उनकी पुन: गिरफ्तारी की जांच

473. श्री शिवनारायण सरसूनिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकालीन स्थिति में डी० आई० एस० आई० आर० में बन्द होने वाले लोगों को उनकी जमानत पर रिहाई होने पर जेल के दरवाजे से पुन: गिरफ्तार कर लिया जाता था;

(ख) क्या इन घटनाओं के बारे में आपत्ति की जाने पर उन मामलों में जांच के आदेश हुए थे;

(ग) क्या ऊपर के अधिकारियों ने ऐसी जांच को बीच में ही रोक देने के आदेश दिये थे; और

(घ) यदि जांच की गई थी, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह): (क) से (घ). आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा और सिक्किम तथा संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, नागर हवेली और लक्षद्वीप राज्यों ने सूचित किया है कि ऐसी कोई फिर से गिरफ्तारी नहीं हुई । शेष राज्यों तथा शासित क्षेत्रों से सूचना प्राप्त होनी है और यथासमय प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

Unsolved cases of murder in Delhi

474. SHRI A. BALA PAJANOR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number and nature of unsolved cases of murder in Delhi during the last three years;

(b) whether it is proposed to carry on with the investigation of the cases; and

(c) the reasons for not detecting the criminals in these cases so far?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (CHAUDHURI CHARAN SINGH: (a) to (c). Facts are being ascertained.